34.14

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर बेंच भोपाल म.प्र.

96-III/14

पुनरीक्षण याचिका क्रमांक ..../14

1. लीलाकिशन आ. श्री काशीराम
2. मनोहर पिता लीलाकिशन देशवाली

निवासी–ग्राम सोभागपुरा

तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ ------- रिवीजनकर्तागण

विरूद्ध

गीता प्रसाद आ. श्री बापूलाल

जाति देखवाली निवासी–ग्राम– सोभागपुरा

तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ ----- रेस्पोडेन्ट

रिवीजन अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा. संहिता

यह कि रिवीजनकर्तागण माननीय अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के द्वारा द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.12.2013 जो उन्होने प्रकरण क्रमांक/149/अपील/2010–11 में पारित किया है उससे दुखी होकर रिवीजन याचिका निम्न तथ्यो एवं आधारों पर यह अपील प्रस्तुत करता है।

।। रिवीजन के तथ्य ।।

1. यह कि ग्राम सोभागपुरा के वसूली पटेल द्वारा तहसीलदा नरसिंहगढ़ के समक्ष एक आवेदन पत्र इस आशय व प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थीगण ने अतिक्रमण कर रास्त अवरूध किया है, मौंके पर पटवारी से प्रतिवेदन मांगा गर तथा पंचनामा तैयार किया गया। उनके द्वारा सरका गोया की भूमि पर अतिक्रमण बताया है और हटाये जाने निर्देश किये है उक्त आदेश से दुखी होकर अपीलार्थीगण

अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर
संभाग, भोपाल

12.3.14

पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी प्रकरण कमांक : 896/III/2014 जिला राजगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
3.4.2014	यह निगरानी अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल व्दारा प्रकरण कमांक 149/2010–11 अपील में पारित आदेश दिनांक 23–12–2013 के विरूद्ध म.प्र. भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदकगण के अभिभाषक को निगरानी की ग्राह्यता पर सुना गया। उन्होंने प्रारंभिक तर्कों में बताया कि ग्राम सोभागपुर के वसूली पटेल ने तहसीलदार नरसिंहगढ़ के समक्ष इस आशय का आवेदन दिया कि आवेदकगण ने अतिकमण करके रास्ता अवरूद्ध किया है। पटवारी ने मौका देखकर सरकारी भूमि पर अतिकमण बताया, जिस पर से तहसीलदार ने अतिकमण हटाने के आदेश दिये, जब अनुविभागीय अधिकारी नरसिंगढ़ के समक्ष अपील की गई तो उन्होंने आवेदकगण को सुने बिना ही अपील निरस्त कर दी। अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के यहाँ अपील करने पर प्रकरण कमांक 149/2010–11 अपील में पारित आदेश दिनांक 23–12–2013 से अपील निरस्त कर दी गई। वस्तुस्थिति यह है कि खसरा नंबर 51 की भूमि पर अतिकमण होना	

बताया है वहां चार मंदिर एंव दरगाह है शासकीय कुआ है एंव किनारे के रास्ते से वाहन आसानी से आ जा सकते हैं, इसलिये मौके की निष्पक्ष जांच होना जरूरी है इसलिये राजस्व निरीक्षक एंव किसी वरिष्ठ अधिकारी से निष्पक्ष जांच कराने हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित किया जावे।

3/ आवेदकगण के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्कों पर विचार करने एंव अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के आदेश दिनांक 23-12-13 में दिये गये विवरण अनुसार स्थिति यह है कि वसूली पटैल व्दारा रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण करने वावत् की गई शिकायत पर से तहसीलदार ने पटवारी ग्राम सौभागपुरा से मौके की स्थिति की जानकारी प्राप्त की है एंव ग्राम में मौके पर तैयार किये गये पंचनामा के अनुसार तथा पटवारी व्दारा प्रस्तुत स्थल जांच प्रतिवेदन के अनुसार सरकारी गोया भूमि सर्वे नंबर 51 रकबा 0.278 हैक्टर पर आवेदकगण व्दारा अतिक्रमण किया है तथा तहसीलदार नरसिंहगढ़ ने आवेदकगण को सुनवाई का एंव पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर देने के वाद अतिक्रमण करना प्रमाणित पाये जाने से 100/-रू. अर्थदंड अधिरोपित कर बेदखली के आदेश दिये हैं। अनुविभागीय अधिकारी, नरसिंहगढ़ के समक्ष आवेदकगण ने अपील प्रस्तुत की और वहाँ भी अतिक्रमण न करने वावत् अपना पक्ष प्रमाणित नहीं कर सके हैं। अपर आयुक्त,

भोपाल संभाग, भोपाल के आदेश दिनांक 23–12–13 के अवलोकन पर पाया गया कि उन्होंने आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत अपील को इस आधार पर निरस्त किया है कि तहसीलदार एंव अनुविभागीय अधिकारी नरसिंहगढ़ के आदेशों के निष्कर्ष समवर्ती हैं। आवेदकगण व्दारा दिये गये विवरण अनुसार विचारण न्यायालय में आवेदकगण ने मंदिर की सुरक्षा हेतु शासकीय भूमि पर खंबे गड़वाना स्वयं् ही स्वीकार किया है और जब आवेदकगण स्वयं् ही शासकीय भूमि पर खंबे गाड़कर अतिक्रमण करना स्वीकार कर रहे हैं, विचाराधीन निगरानी में उन्हें अनुतोष प्राप्त करने की पात्रता नहीं है।

4/ उपरोक्त कारणों से निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है। फलतः अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल व्दारा प्रकरण क्रमांक 149/2010–11 अपील में पारित आदेश दिनांक 23–12–2013 विधिवत् पाये जाने से स्थिर रहता है।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, ग्वालियर